प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 569 सन 2021

अनवान :-

1. सुखविन्द्र कौर पुत्री साहबराम पत्नी मनोहरलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. तेजादेवी पत्नी साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
2. रायसिह पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
3. कुन्दनलाल पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
4. महेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविनद्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 123/121 की कुल 19.8670हैक मे से 18881/198670 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के पिता साहबराम के नाम से दर्ज थी साहबराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 भाई बहन है एव प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की माता है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी के भाई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से वाद भूमि के अलावा अन्य चक 41 एसएसडब्ल्यू की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता किया हुआ है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जाकर चक 41 एसएसडब्ल्यू की भूमि रख ली है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके नाम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 भाई बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की माता है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जाकर चक 41 एसएसडब्ल्यू की भूमि रख ली है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 123/121 की कुल 19.8670हैक मे से 18881/198670 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी सख्या 1 जो वादीया की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादीया के भाई है ने बाहमी बटवारारु/परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जाकर अन्य चक 41 एसएसडब्ल्यू की भूमि रख ली है वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जो परिवारिक समझौता में वादीया को प्राप्त हुई है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है मजमे आम में मौजिज व्यक्तियों के द्वारा अवगत करवाया की वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 123/121 की कुल 19.8670हैक मे से 18881/198670 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...गोरखाना.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुखविन्द्र कौर पुत्री साहबराम पत्नी मनोहरलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1 तेजादेवी पत्नी साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
2. रायसिह पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
3. कुन्दनलाल पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
4. महेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति मेधवाल निवासी भैरूपाल तहसील व जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 569 सन 2021 निर्णय दिनांक–20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 123 / 121 की कुल 19.8670हैक मे से 18881 / 198670 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...गोरखाना

उपखण्ड अधि...
नोहर

सत्यमेव जयते